

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

पत्रांक 2522/18

उपविधि संख्या- 8(4)

दिनांक 20/02/18

23318010400005

आप के आवेदन संख्या-

तिथि- 4.1.18 के संदर्भ में श्रीमती / श्री

के लिए

(क) 8+6+6 भवन के निर्माण

(ख) भवन के पुनर्निर्माण

(ग) भवन के परिवर्तन

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत / महानगर पंचायत

फुलवारी शरीफ

शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिरूचित

विकास योजना / आयोजना प्राधिकार / आयोजना रकम के

(सीएसओ) प्लॉट नं० (एमएसओपी) 994, 995 खाता नं० 1260, 1270, 1290 के मोहल्ला 1022, 1023 वार्ड नं० 10 के बाबत निर्मलक्षित गाँव

शर्तों / निर्वहनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है

(क) भूमि / भवन का उपयोग अन्य रूप से प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्रकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार विकास जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1025.79 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसमें किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 18.29 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पट्टन मार्ग में समाप्त होगी।

(ङ) प्रशस्त भूमि आवेदक के विविध स्वामित्व एवं शक्तिपूर्ण विकास के लिए उपलब्ध होगी।

(ध) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक विभिन्न विकास के लिए आवश्यक होगा।

(ध) प्राधिकारों / या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन आयोजना के लिए आवश्यक शर्तों के अनुसार योजना रकम के अधीन आकस्मिकत रुसंगत आयोजना प्राधिकार / ग्राम पंचायत क्षेत्रों व अंतर्गत क्षेत्रों में

नगर निगमों / नगर परिषद / नगर पंचायत / महानगर क्षेत्र / आयोजना क्षेत्र में

चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमाम्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी है के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात भू-आपत्ति के कारण या अधिकार हक / हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) कोई अन्य शर्त।

प्रमाणित पदाधिकारी प्राधिकार
श्रीमती नुसार



नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद फुलवारी शरीफ

अंगन प्रमाणित, 2018

अंगन प्रमाणित, 2018